भारत सरकार
खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 5003
23 जुलाई, 2019 को उत्तर देने के लिए

पीएमकेएसवाई के संबंध में आकलन

5003. श्री हेमन्त पाटीलः

क्या **खाद्य प्रसंस्करण उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने गत तीन वर्षों के दौरान पीएमकेएसवाई के कार्यों और कार्य-निष्पादन के संबंध में कोई आकलन किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार ने इस योजना के समुचित कार्यान्वयन हेतु एक केन्द्रीय निगरानी प्रणाली विकसित की है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) देश में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के बेहतर विकास हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं; और

(घ) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान खाद्य प्रसंस्करण पर 2014 से अब तक व्यय किए गए कृषि बजट के प्रतिशत का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग राज्य मंत्री
(श्री रामेश्वर तेली)

(क): खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय पीएमकेएसवाई के अंतर्गत आवंटित निधियों के ईष्टतम उपयोग और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग संवर्धन स्कीम के अंतर्गत सृजित की जाने वाली विभिन्न अवसंरचनात्मक/लॉजिस्टिक/प्रसंस्करण/परिरक्षण सुविधाओं के लिए पीएमकेएसवाई की घटक स्कीमों की वित्तीय एवं वास्तविक प्रगति की नजदीकी से निगरानी कर रहा है । हालांकि, पीएमकेएसवाई के प्रभाव के संबंध में कोई आकलन नहीं किया गया है क्योंकि पीएमकेएसवाई की कार्यान्वयन अवधि 2016-20 है ।

(ख): मंत्रालय ने विभिन्न स्कीमों के अंतर्गत प्रस्ताव प्रस्तुत करने और अनुदान सहायता जारी करने से संबंधित प्रक्रियाओं को स्कीम प्रबंधन तंत्र के माध्यम से साधारण, आसान तथा पारदर्शी बनाने के लिए भारत के डिजिटल भारत कार्यक्रम के अनुरूप एक इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफार्म विकसित किया है । यह तंत्र, आवेदन को ऑनलाइन प्रस्तुत करने, दस्तावेजों को अपलोड करने और वास्तविक समय आधार पर उसकी स्थिति की ट्रैकिंग को सुविधाजनक बनाता है । किसी भी स्तर पर जब प्रस्ताव की स्थिति में कोई बदलाव आता है तब यह तंत्र स्वचालित ई-मेल चेतावनी देता है और संबंधित पणधारी के ई-मेल खाते में उसे भेज देता है । यह तंत्र, निगरानी और निर्णय लेने के लिए पूछताछ एवं रिपोर्टों की भी सुविधा प्रदान करता है । पणधारियों को 24X7 आधार पर सूचना तक त्वरित पहुंच के लिए इस एप्लीकेशन को भारत सरकार के क्लाउड सर्वर पर होस्ट किया गया है । इस प्रकार, आवेदन प्रस्तुत करने और पीएमकेएसवाई की स्कीमों के लाभार्थियों को अनुदान सहायता जारी करने की पूरी प्रक्रिया में मुश्किल से कहीं मानवीय हस्तक्षेप रह जाता है । मंत्रालय ने अपने प्रमुख कार्य निष्पादन संसूचकों नामतः चल रही परियोजनाओं की संख्या, विभिन्न स्तरों पर लंबित, विभिन्न स्तरों पर विलंब आदि के माध्यम से मंत्रालय की स्कीमों की समीक्षा करने के लिए एक डैशबोर्ड भी सृजित किया है । यह डैशबोर्ड, स्कीम प्रबंधन तंत्र के कार्यक्षेत्र में शामिल सभी स्कीमों के प्रमुख कार्य निष्पादन संसूचकों का एक-नजर में प्रदर्शन कर देता है ।

(ग): प्रधान मंत्री किसान सम्पदा योजना (पीएमकेएसवाई) के अंतर्गत विभिन्न केंद्रीय क्षेत्र स्कीमों के कार्यान्वयन के अतिरिक्त सरकार ने देश में खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र के समग्र संवर्धन एवं विकास और निवेश आकर्षित करने तथा क्षेत्र में रोजगार के अवसरों का सृजन करने के लिए खाद्य उत्पादों के विनिर्माण में स्वत: अनुमोदन के माध्यम से 100% प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) की अनुमति और भारत में उत्पादित और/अथवा विनिर्मित खाद्य उत्पादों के संबंध में ई-वाणिज्य के माध्यम समेत व्यापार के लिए सरकारी अनुमोदन के माध्यम के अंतर्गत 100% प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) को अनुमति देना, खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों को वहनीय क्रेडिट उपलब्ध कराने के लिए राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) में 2000 करोड़ रुपए के विशेष कोष का गठन करना, खाद्य एवं कृषि आधारित प्रसंस्करण यूनिटों एवं कोल्ड चेन को प्राथमिकता क्षेत्र उधारी (पीएसएल) हेतु कृषि कार्यकलाप के रूप में वर्गीकृत करना, अधिकांश खाद्य पदार्थों के लिए माल एवं सेवाकर (जीएसटी) की दरें कम करना, नई खाद्य प्रसंस्करण यूनिटों हेतु लाभ पर आयकर से 100% छूट, 100 करोड़ रुपए तक के वार्षिक टर्नओवर वाले किसान उत्पादक संगठनों को कृषि में फसलोत्तर मूल्यवर्धन जैसे कार्यकलापों से प्राप्त लाभ पर आयकर से 100% छूट, कृषि उपज के भंडारण हेतु शीत श्रृंखला/मालगोदाम सुविधा की स्थापना और प्रचालन पर निवेश में किए गए व्यय पर 100% की कटौती, परियोजना आयात लाभ स्कीम के अंतर्गत संयंत्र और मशीनरी के लिए रियायती आयात शुल्क, अग्रिम प्राधिकार स्कीम के अंतर्गत कच्ची सामग्री के आयात पर आयात शुल्क से छूट इत्यादि जैसे कई नीतिगत पहल/उपाय/कदम उठाए हैं ।

(घ): खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय का अपना स्वयं का अलग से बजट है । वर्ष 2016-17 से 2018-19 के दौरान खाद्य प्रसंस्करण के लिए कुल 2192.73 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है । निधियों का वर्ष-वार आवंटन और व्यय निम्नानुसार हैः

(करोड़ रुपए)

वर्ष	**आवंटन**	**व्यय**
2016-17	688.56	677.16
2017-18	633.84	605.58
2018-19	870.33	591.38

*****